बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–01/2015 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्राधीन सुपौल एवं मधेपुरा जिला अंतर्गत चार अदद 1X5 एम०भी०ए० का नया 33/11 के0वी0 शक्ति उपकेन्द्र एवं संबंधित लाईन के निर्माण की 11.77 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष राशि 6.77 करोड़ (छः करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली एवं छातापुर प्रखंड में तथा मधेपुरा जिला अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की मात्रा में बढ़ोत्तरी एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। बिजली की उपलब्धता बढ़ाने हेतु शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना होने से विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी, ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस में कमी होगी एवं क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध हो सकेगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

2. नार्थ बिहार पावर ड़िस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्राधीन सुपौल जिला एवं मधेपुरा जिला में 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 फीडर की लम्बाई सीमित कर विद्युत की गुणवत्ता में सुधार के उद्येश्य से सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली एवं छातापुर प्रखंड में तथा मधेपुरा जिला अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास कुल चार अदद 1X5 एम०भी०ए० क्षमता का शक्ति उपकेन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गयी है, जिसकी अनुमानित लागत 11.77 करोड़ रूपये है। विभागीय राज्यादेश संख्या–2565 दिनांक–31.08.2015 द्वारा 5.00 करोड़ (पॉच करोड़) रूपये नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी गई है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्राधीन सुपौल एवं मधेपुरा जिला अंतर्गत चार अदद 1X5 एम०भी०ए० का नया 33/11 के0वी0 शक्ति उपकेन्द्र एवं संबंधित लाईन के निर्माण की 11.77 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष राशि 6.77 करोड़ (छः करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, बजट मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900107, विषय शीर्ष– 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर ड़िस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ,

उपशीर्ष–0048– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

6. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–01/2015 के पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–24.08.2015 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र02/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–01/2015 के पृष्ठ संख्या–32/टि0 पर दिनांक–10.10.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–01/2015 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–01/2015 2716 /पटना, दिनांक– 11/10/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।